इकाई 19 महिलाएँ

इकाई की रूपरेखा

19.0 उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 महिलाओं के प्रस्थिति सूचक

19.2.1 जनसांख्यिकीय प्रस्थिति

19.2.2 स्वास्थ्य प्रस्थिति

19.2.3 साक्षरता प्रस्थिति

19.2.4 रोज़गार प्रस्थिति

19.2.5 राजनीतिक प्रस्थिति

19.3 सामाजिक प्राधार, सामाजिक प्रक्रियाएँ और महिलाएँ

19.3.1 जाति प्राधार

19.3.2 परिवार

19.3.3 परिवार के अंतर्गत समाजीकरण

19.3.4 वर्ग प्राधार और महिलाओं के कार्य

19.4 महिलाओं पर हिंसा

19.4.1 बलात्कार, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार

19.4.2 पारिवारिक मारपीट और दहेज मौतें

19.4.3 वेश्यावृत्ति

19.4.4 अश्लील साहित्य और संचार-साधनों में महिलाओं का मिथ्या निरूपण

19.5 महिलाओं संबंधी मुद्दे : चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएँ

19.6 सारांश

19.7 शब्दावली

19.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

19.0 उद्देश्य

इस इकाई में हमने महिलाओं की अस्मिता, गरिमा और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपके द्वारा संभव होगा :

- महिलाओं की प्रस्थिति के विभिन्न सूचकों की विवेचना करना;
- उन संरचनाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना जिनके कारण महिलाओं को गौण समझा गया है;

- समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार की हिंसा की भूमिका की जाँच करना;
- संरचनात्मक और ऐतिहासिक संदर्भ में महिलाओं के मुद्दों का विश्लेषण करना; और
- भारत में महिलाओं के मुद्दों के प्रति समकालीन चुनौतियों व प्रतिक्रियाओं का वर्णन करना।

19.1 प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की प्रस्थिति पर समिति द्वारा बनाई गई रिपोर्ट समानता की ओर (Towards Equality) प्रस्तुत होने के बाद ही भारत में महिलाओं की प्रस्थिति पर ध्यान आकर्षित हुआ। संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा गठित इस समिति ने भारत में महिलाओं की प्रस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रस्थिति सूचकों पर विचार किया। इस रिपोर्ट में स्तब्ध करने वाली इस सूचना का रहस्योद्घाटन किया गया कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में तो उत्तरोत्तर परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु महिलाओं को निरंतर अधोगामी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व के अनेक भागों से इसी प्रकार के रहस्योद्घाटनों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघ ने वर्ष 1975 को महिला वर्ष और 1975-85 के दशक को महिला दशक घोषित किया।

रिपोर्ट के निष्कर्षों और उसके बाद के शोध अध्ययनों में महिलाओं के लिए समानता की संवैधानिक गारंटी और वास्तविकता में विरोधाभास पाया गया है। महिला संगठनों और मानव अधिकार संगठनों द्वारा विभिन्न मुद्दों जैसे – बलात्कार, दहेज मौतें, पारिवारिक मारपीट, सती, परित्यजन, भ्रूण-हत्या आदि मामलों के लिए अभियान शुरू किए गए और लिंगभेद संबंधी न्याय पाने का प्रयास किया गया। 1970 और 1980 के दशक के मध्य में इस शताब्दी के महिला आंदोलन की दूसरी लहर दिखाई दी। भेदभाव, अधीनता और उपेक्षा के प्रति अनुभवों को स्पष्ट करने की इस नई जागरूकता के कारण ज्ञान के विद्यमान स्वरूप की जाँच करने का अवसर मिला। इस समय से महिलाओं से संबंधित शोध कार्य प्रारंभ हुए। अनेक कमियों के बावजूद 1970-80 के दशक के दौरान महिलाओं से संबंधित अधिनियमों, नीतियों और कार्यक्रमों में संशोधन किए गए तथा कानून बनाए गए।

प्रस्तुत इकाई में हम कुछ समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनका सामना भारतीय महिलाएँ करती हैं। इकाई का प्रारंभ महिलाओं की प्रस्थितियों के सूचकों की पहचान करने से किया है। इसके बाद एक संस्था के रूप में परिवार तथा महिलाओं को एक गौण भूमिका अदा करने में परिवार की समाजीकरण की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंत में दुर्व्यवहार और हिंसा के विभिन्न रूपों पर विस्तार से चर्चा की गई है जो महिलाओं के व्यक्तित्व और सम्मान को चुनौती देते हैं जैसे – यौन अत्याचार और बलात्कार, पारिवारिक मारपीट और दहेज-मौतें, व्यभिचार अथवा वेश्यावृत्ति और अश्लील साहित्य और संचार-माध्यमों में महिलाओं का मिथ्या निरूपण।

19.2 महिलाओं के प्रस्थिति के सूचक

यह विचित्र सी बात है कि भारत में जहाँ देवियों की पूजा की जाती है, वहाँ महिलाओं को स्वतंत्र व्यक्तित्व और प्रस्थिति से वंचित रखा जाता है। यह प्रवृत्ति हमारे सामाजिक ढाँचे, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति में दृढ़तापूर्वक समायी हुई है। मनु संहिता में कहा गया है –"महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए।" बाल्यकाल में उस पर उसके पिता का

अधिकार होता है, यौवन काल में उसके पति का और बुढ़ापे में उसके पुत्र का (मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, IX, 3)। महिलाओं की अस्मिता, आजादी, संसाधनों तक पहुँचने का अवसर आदि, परिवार की जाति और वर्ग प्रस्थिति द्वारा निर्धारित होती है। वैवाहिक प्रस्थिति और उनकी प्रजनन शक्ति से महिलाओं की पहचान होती है। विवाह होने पर उसको उच्चतम प्रस्थिति "सौभाग्यवती" दी जाती है। विवाहित महिलाएँ मातृत्व प्राप्त करने के बाद विशेषकर पुत्र को जन्म देने पर परिवार और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है।

परिवार और समाज की विभिन्न सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा महिला के आत्म (तत्त्व स्वत्व) को बचपन से ही नकारा जाता है। स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद और पहचान सीमित और दबी हुई रहती है और इसके बहुत से प्रभाव होते हैं। यद्यपि महिलाओं की शिक्षा, रोज़गार, पंचायतों में भाग लेने आदि के संबंध में कई सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

आमतौर पर पुरुषों की प्रस्थिति की तुलना में महिलाओं की प्रस्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन में जिन मुख्य प्रतिकूल द्योतकों का प्रयोग किया जाता है, वे हैं –जनसांख्यिकीय प्रस्थिति, स्वास्थ्य प्रस्थिति, साक्षरता प्रस्थिति, रोज़गार दर और विन्यास तथा राजनीतिक प्रस्थिति।

19.2.1 जनसांख्यिकीय प्रस्थिति

लिंग अनुपात (sex ratio), मृत्यु दर (mortality rate) और रुग्णता दर (morbidity rate) तथा जीवन संभाव्यता (life expectancy) जैसे द्योतक जनसंख्या की जनसांख्यिकीय प्रस्थिति का मूल्यांकन करते हैं। महिलाओं की जनसांख्यिकीय प्रस्थिति के लिए लिंग अनुपात और मृत्यु दर विन्यास का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। लिंग अनुपात से अभिप्राय आबादी में 1,000 पुरुषों के लिए महिलाओं का अनुपात है। भारत में इस शताब्दी के प्रारंभ से महिलाओं का अनुपात जनसंख्या में गिर रहा है। 1981 की जनगणना के अनुसार इस अनुपात में थोड़ी-सी वृद्धि हुई है, फिर भी, 1991 की जनसंख्या के अनंतिम आँकड़ों में पुनः गिरावट दिखाई गई है, 2001 में न्यूनतम वृद्धि के साथ।

तालिका 1 : 1901-1911 लिंग अनुपात

वर्ष	अनुपात
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	929
2001	933

मृत्यु दर मौतों की आवृत्ति अर्थात् बारंबारता को नापती है। यह वार्षिक दर है और 1,000 जीवित जन्मों के लिए मृत्यु की संख्या के रूप में विभिन्न आयु-वर्गों के लिए परिकलित की जाती है। आयु विशेष मृत्यु दर के आँकड़े बालिका शिशुओं (0-4 वर्ष) की उच्च मृत्यु दर और मातृ (15-25 वर्ष) उच्च मृत्यु दर सूचित करती है। बालिक शिशु मृत्यु दर (33.6) है जबकि बालिका शिशु मृत्यु दर (36.8) है। यह इस बात का संकेत देता है कि बालिका शिशुओं को पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य देखभाल के बारे में भेदभाव का सामना करना पड़ता है (नमूना पंजीकरण प्रणाली, 1987)। मातृ मृत्यु की उच्च दरों (2.7 का 46.1 प्रतिशत) का कारण प्रसव के समय प्रसूति जोखिम तथा अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल है। छोटी उम्र में विवाह और कम उम्र में गर्भाधान के कारण प्रसव के समय जोखिम होता है। जीवन संभाव्यता दर का अभिप्राय किसी व्यक्ति की औसत आयु से है जिसमें वह विद्यमान मृत्यु दर स्थितियों के बाद जीवित रहता है। जीवन संभाव्यता दर की गणना भी विशिष्ट आयु वर्गों के अनुसार की जाती है। महिलाओं की जीवन संभाव्यता 63.8 वर्ष है और पुरुषों की 62.8 वर्ष है। (सन् 2000 के अनुसार, यह पाया गया है कि बुढ़ापे के दौरान महिलाओं में अधिक जीने की संभाव्यता होती है,। जबकि युवा अवस्था में उनकी मृत्यु दर ऊँची होती है (देखें ई.एस.ओ.-12 के खंड 7 की इकाई 33)।

19.2.2 स्वास्थ्य प्रस्थिति

स्वास्थ्य की देखभाल जुटाने में भी महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है। अस्पताल दाखिलों और आँकड़ों के अध्ययन से पता चला है कि महिलाओं और लड़कियों की तुलना में पुरुष और लड़कों की स्वास्थ्य देखभाल अधिक होती है। यह कहा जाता है कि महिलाएँ और लड़कियाँ पुरुष और लड़कों की तुलना में बीमारी की स्थिति में काफी विलम्ब से अस्पतालों में ले जाई जाती है। इसके अलावा अधिकांश भारतीय महिलाओं में रक्ताल्पता (anaemia) होती है। वे भोजन पकाने, सफाई करने, कपड़ा धोने, पानी लाने, लकड़ी इकट्ठा करने, बच्चें और वृद्धों की देखभल करने, पशुओं की देखभाल करने और खेती के कामकाज जैसे कई कार्यों में बहुत शक्ति व्यय करती हैं जबकि खर्च की गई शक्ति की तुलना में वे कम कैलोरी लेती हैं। कैलोरी की कमी से आमतौर पर महिला के स्वास्थ्य पर खासतौर से प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यह देखा गया है कि पर्यावरण ह्रास से महिलाओं को ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने और पानी लाने के लिए कई मील दूर जाना पड़ता है। इससे महिलाओं के कार्य का भार बढ़ गया है। इसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार, चूँकि पानी लाने का काम अधिकतर महिलाएँ करती हैं, इससे वे जल जनित रोग का शिकार भी हो जाती हैं। फसल के अवशिष्टों, गोबर के उपलों आदि जैसे ईंधन से भोजन बनाने और स्टोव से सांस की जीर्ण बीमारियाँ होती हैं। खेती, खादों, पादप रोपण और गृह आधारित उत्पादन जैसे बीड़ी बनाना, कागज की थैलियाँ बनाना, कसीदाकारी आदि से कई व्यावसायिक स्वास्थ्य हानियाँ होती हैं और इन्हें किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं लिया गया है।

19.2.3 साक्षरता प्रस्थिति

सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को महत्त्वपूर्ण साधन माना गया है। व्यक्तित्व विकास के अलावा शिक्षा वित्तीय आत्मनिर्भरता और प्रस्थिति गतिशीलता को प्राप्त करने का काम भी करती है।

भारत में स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद से बालिकाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रही हैं। फिर भी, समग्र साक्षरता दर और सापेक्ष साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर की तुलना में अभी कम है। भारत में कुल साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत

है, जबकि पुरुषों के लिए यह 75.85 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 54.16 प्रतिशत है (जनगणना 2001)।

कई ऐसे कारक हैं जिनसे यह स्थिति बनती है। पहला, परिवार की निम्न सामाजिक और आर्थिक प्रस्थिति के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। यदि बच्चे स्कूल में दाखिल भी किए जाते हैं तो बालिकाओं को स्कूल से हटा दिया जाता है और उन्हें छोटे बच्चों की देखभाल और घर के कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आर्थिक आवश्यकता, जो बच्चों को मज़दूरी करने के लिए विवश करती है, इससे भी बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। लड़की की शादी और मातृत्व को बहुत महत्त्व दिया जाता है, इसलिए परिवार लड़कियों की शिक्षा में अपने दुर्लभ संसाधनों को नहीं लगाना चाहते। लड़कों को रोज़गार के अधिक अच्छे अवसर प्राप्त करवाने के लिए उनकी शिक्षा पर अधिक खर्च किया जाता है (अधिक जानकारी के लिए देखें ई.एस.ओ.-12 के खंड 7 की इकाई 32)।

19.2.4 रोज़गार प्रस्थिति

नृशास्त्र संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि मानव इतिहास में भोजन, वस्त्र, दस्तकारी और कई विभिन्न औज़ार बनाने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही है।

अपने परिवारों की उत्तरजीविता के लिए भारतीय महिलाओं ने कई कार्यकलापों में भाग लिया, फिर भी 'काम' और 'कामगार' शब्दों की व्याख्या महिलाओं के कार्य की विविधताओं को समझने में अपर्याप्त है। 2001 की जनगणना के अनुसार, 25.7 प्रतिशत महिलाएँ और 39.3 प्रतिशत पुरुष श्रमजीवी हैं। कुल महिला श्रमजीवियों में 32.5 प्रतिशत खेतिहर, 39.4 प्रतिशत कृषि मज़दूर हैं, 6.4 प्रतिशत घरेलू उद्योगों में कार्यरत और 21.7 प्रतिशत अन्य श्रेणी के श्रमिक हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के बावजूद महिलाओं को अभी भी कम मज़दूरी मिलती है उन्हें कम कौशलपूर्ण कार्यों पर लगाया जाता है और दक्षता प्रशिक्षण और पदोन्ति के लिए भी उनकी पहुंच कम है। शहरी क्षेत्रों में रोज़गारशुदा महिलाएँ शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, क्लर्क और टाइपिंग जैसे नियत धारणाओं वाले काम मे लगी हुई हैं। अब महिलाएँ, अभियांत्रिकी, वास्तुकार, वैमानिकी, निर्माण, पुलिस सेवा और प्रबंध जैसे पुरुष-प्रधान व्यवसायों में भी प्रविष्ट हो रही हैं। परंतु सांस्कृतिक बाधाएँ जिसमें महिला को अबला नारी (weaker sex) के रूप में देखा जाता है, उनके चुनाव, प्रशिक्षण और पदोन्नति में बाधक बनती हैं। महिलाओं को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। (अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ें ई.एस.ओ.- 12 के खंड 2 की इकाई 31 एवं ई.एस.ओ.- 16 के खंड 7 की इकाई 11)।

19.2.5 राजनीतिक प्रस्थिति

बहुत से पश्चिमी देशों के विपरीत जहाँ महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने के लिए संगठित संघर्ष किया, परंतु भारत में इस राष्ट्र के नागरिक के रूप में उन्हें मताधिकार प्राप्त है। यद्यपि भारत में महिला प्रधानमंत्री– श्रीमती इंदिरा गांधी रहीं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि संसद और राज्य विधानमंडलों तथा स्थानीय निकायों में महिलाआ का उचित प्रतिनिधित्व है। संसद में उनकी केवल 8.91 प्रतिशत सीटें हैं। कुल मिलाकर महिलाएँ चुनाव में निष्क्रिय मतदाता मात्र रह गई हैं और उनके मतदान का स्वरूप पुरुष सदस्यों के निर्णय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के प्रश्न पर हाल ही में चर्चा हुई है। हालांकि यह विधेयक कई बार संसद में रखा गया लेकिन किसी न किसी तर्क के कारण इसे वापस ले लिया गया। तथापि 73वें संवैधानिक संशोधन से भारत में, पंचायती

राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो गई है। पंचायती राज संस्थाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाते हुए 3 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएँ राजनीतिक निर्णय लेने में सक्रिय रूप से सहभागी हैं।

बोध प्रश्न 1

1) क्या आपको महिलाओं के लिए समानता की संवैधानिक गारंटी और वास्तविकता के बीच कोई विरोधाभास दिखाई देता है? लगभग नौ पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) महिलाओं की निम्न प्रस्थिति के क्या प्रभाव हैं? लगभग सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) सही उत्तर पर टिक (✓) का निशान लगाइए :

महिला कामगारों की प्रतिशतता कम है, क्योंकि–

क) महिला गृहणियाँ होती हैं। ( )

ख) महिलाओं की गणना कामगार के रूप में नहीं की जाती है। ( )

ग) महिलाएँ काम नहीं करती हैं। ( )

घ) कामगार हमेशा पुरुष ही होते हैं। ( )

19.3 सामाजिक प्राधार, सामाजिक प्रक्रियाएँ और महिलाएँ

आइए, इस इकाई में हम उन विभिन्न प्राधारों को समझने की कोशिश करें जो महिलाओं की प्रस्थिति को गौण बनाते हैं और विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इस विभेद को बनाए रखते हैं।

19.3.1 जाति प्राधार

जाति पदक्रम के विकास में महिलाओं का अधीनीकरण बहुत महत्त्वपूर्ण था, जितनी ऊँची जाति होती थी। महिलाओं पर दबाव उतने ही अधिक थे। यह देखा गया है कि स्त्री लैंगिकता के नियंत्रण पर आधारित लिंग विभाजन का विकास सामाजिक प्राधार निर्माण का अभिन्न भाग था।

यह पूछना प्रासंगिक होगा : स्त्री लैंगिकता पर नियंत्रण की क्या आवश्यकता थी? वह क्या था जो महिलाओं की शक्ति को खतरे में डालता? यह वस्तुतः संसाधनों से किस प्रकार जुड़ा हुआ था? इन प्रश्नों को सुलझाने के लिए जाति-व्यवस्था को समझना आवश्यक है।

अन्य पाठों में आपने जो कुछ पढ़ा होगा, आइए संक्षेप में आपको उसका स्मरण कराएँ। क्षेत्रीय आधार पर हजारों उप-जातियाँ हैं, जो जाति के रूप में जानी जाती है। फिर भी, अखिल भारतीय सामाजिक पदक्रम व्यवस्था वर्ण पदक्रम व्यवस्था पर आधारित है जो कि हिंदू जनसंख्या को चार मुख्य समूहों में विभाजित करती है : सबसे ऊपर ब्राह्मण (पुरोहित वर्ग), उसके बाद क्षत्रिय (योद्धा वर्ग), तब वैश्य (सामान्य वर्ग–आमतौर पर व्यापारी और दस्तकार जातियाँ) और सबसे नीचे शूद्र (खेतिहर मज़दूर) इनमें से कुछ जाति पदक्रम व्यवस्था से अलग हैं, वे अछूत समझे गए थे। शुचिता-प्रदूषण सिद्धांत, सहभोज और सजातीय विवाह के नियम, जाति-व्यवस्था और जीवन-शैली के लिए प्रतिबद्धता जैसी बातों द्वारा जाति सीमाओं को पूर्णतः बनाए रखती है। धार्मिक प्रस्थिति के स्वरूप में आनुष्ठानिक पवित्रता है परंतु आर्थिक सम्पत्ति और सामाजिक सम्मान इसके साथ-साथ जुड़े होते हैं। अर्थात् उच्च जातियों के पास अधिक सम्पत्ति होती है और निचली जातियाँ सम्पत्तिहीन होती हैं अथवा उनके पास बहुत ही कम सम्पत्ति होती है। पिछले कुछ दशकों में आनुष्ठानिक प्रस्थिति और आर्थिक प्रस्थिति संबंधी परिवर्तन हुए हैं। 'प्रबल जाति' की अवधारणा इसे सिद्ध करती है। (इस पर ई.एस.ओ.- 14, खंड 5, इकाई 18, पृष्ठ 15 में चर्चा की गई है)।

शुचिता अर्थात् पवित्रता के तीन मुख्य लक्षण हैं : शाकाहार, मद्यत्याग और महिलाओं पर सख्त पाबंदी लगाना। इससे यह संकेत मिलता है कि आनुष्ठानिक पवित्रता काफी हद तक पारिवारिक कार्यों के माध्यम से आती है। महिलाओं पर नियंत्रण के दो प्रमुख पहलू हैं :

1) अचल संपत्ति से महिलाओं को वंचित रखना, अलग रखकर या पर्दे में रखकर उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र से हटाना और घर तक ही सीमित रखना।

2) राजीनामा विवाह, बाल-विवाह, तलाक की मनाही और महिलाओं के लिए बाधित एकल विवाह, जिसके फलस्वरूप सती होना और शिशु अथवा बाल विधवा सहित विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध द्वारा स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा बहुत अधिक नियंत्रण रखा जाता है।

ऊँची जातियों द्वारा आनुष्ठानिक पवित्रता, जैविक शुद्धता जाति की श्रेष्ठता और आर्थिक शक्ति के बनाए रखने के लिए ये प्रतिबंध बहुत कठोरता से लागू किए गए थे। आर्थिक शक्ति में सुधार से उर्ध्वगामी प्रस्थिति की गतिशीलता प्राप्त करने का प्रयास करने वाली

निचली जातियों के समूह भी महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाली उच्च जाति के प्रतिमान अपनाते थे। एम.एन. श्रीनिवास ने इस संबंध को "संस्कृतीकरण" के सूचक के रूप में देखा था।

धार्मिक ग्रंथों और पितृसत्तात्मक, पितृवंश परंपरा और पितृस्थानिक परिवार प्रणाली द्वारा जाति प्रथा बनाए रखने के लिए वैचारिक और भौतिक आधार विनियमित होते हैं।

19.3.2 परिवार

आपने पिछले पाठों में अवश्य पढ़ा होगा कि परिवार एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामाजिक इकाई है जिसमें सदस्य पारस्परिक बंधनों, भूमिकाओं और बाध्यताओं के तंत्र में रहते हैं, अर्थात् यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, यहाँ छोटे बच्चों का पोषण होता है तथा उनका समाजीकरण होता है (अर्थात् परंपरा, संस्कृति, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का संचरण होता है) ताकि वे समाज में विभिन्न भूमिकाएँ निभा सकें। परिवार पीढ़ियों को आगे बढ़ाने तथा निजी संपत्ति के हस्तांतरण का काम करता है। प्रजनन में परिवार की भूमिका वंशक्रम और धार्मिक निर्देशों/प्राथमिकताओं के विन्यास से जुड़ी होती है। वंश दो प्रकार के होते हैं : पितृवंश परंपरा और मातृवंश परंपरा। पितृवंश परंपरा की वंशक्रम प्रणाली में परिवार की संपत्ति पुरुष संतान द्वारा हस्तांतरित होती है, उदाहरण के लिए पिता से पुत्र को। मातृवंशक्रम प्रणाली में संपत्ति का हस्तांतरण महिला द्वारा होता है जैसे माता से पुत्री को।

धार्मिक प्रथाओं की विभिन्न परंपराओं में शोधकार्य, 'शक्ति' (देवियों) की उपासना की मातृसत्तात्मक विरासत और विश्वास यह दिखाते हैं कि वंशक्रम का पितृवंश परंपरा का स्वरूप देवताओं का अस्तित्व और महिलाओं की आजादी पर नियंत्रण आदि आर्य परंपराएँ थीं, जिन्हें उदार देशीय परंपराओं पर थोपा गया। आजकल केरल के नायर समुदाय, उत्तर-पूर्व के खासी, पूर्वी भारत के गारो और लक्ष्यद्वीप की कुछ जनजातियों को छोड़कर अन्य सभी समुदायों में पितृवंश पंरपरा की वंशक्रम प्रणाली प्रचलित है। भारत के सभी भागों में देवी माताओं की उपासना की जाती है।

पितृवंश परंपरा से निकटतम रूप से जुड़ी हुई पतिस्थानिक प्रथा है, अर्थात् विवाह के बाद पति के गाँव/निवास/परिवार में महिला के निवास का स्थानांतरण। पुत्र अपने पिता के साथ रहते हैं। इसीलिए संपत्ति कानून पुत्रियों को अचल संपत्ति के अधिकार से वंचित करते हैं, चूंकि ऐसी संपत्ति विवाह होने पर उनके पति के परिवार को चली जाएगी इसलिए महिलाओं को चल संपत्ति (जैसे जेवरात) का कुल हिस्सा दिया जाता है जिसे दहेज के नाम से जाना जाता है। भौतिक संसाधनों से जुड़ यही कारण है कि लड़की का जन्म चिंता का विषय माना जाता है।

इसके अलावा, धार्मिक ग्रंथ विशेषकर हिंदू धर्म में पुत्रों को वरीयता दी गई है। मनु की संहिता के अनुसार व्यक्ति केवल अपनी पत्नी की पवित्रता और इसके माध्यम से अपने पुत्रों की पवित्रता की रक्षा करने से ही योग्यता प्राप्त कर सकता है। पिता की चिता को अग्नि देने के लिए तथा श्राद्ध द्वारा पैतृक वंशजों की आत्मा की शांति के लिए पुत्र का होना आवश्यक है और इससे पिता और पैतृक वंशज मोक्ष (पुनर्जन्म से मुक्ति) प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं की भूमिका पुरुष वंशक्रम निरंतरता के लिए पुत्र को जन्म देना है ताकि आनुष्ठानिक कार्य सुविधापूर्वक होते रहें। पुरुष और महिला भूमिकाओं का यह पदक्रम बच्चों के देखभाल, शिक्षा, आज़ादी, अधिकार और न्याय के मामले में पुत्री की उपेक्षा की जाती है। सद्भावपूर्ण, समतावादी और सहमति की ऐसी इकाई के रूप में परिवार जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है, ऐसे परिवारों के महिलाओं से संबंधित कई

प्रेक्षणों में समाजशास्त्री अंधकार में ही रहे हैं। परिवार में महिलाओं के अनुभव पुरुषों के अनुभवों से भिन्न होते हैं।

19.3.3 परिवार के अंतर्गत समाजीकरण

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, समाजीकरण संस्कृति, परंपर, सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों के हस्तांतरण का कार्य करता है। परिवार में पैतृक समाजीकरण के अलावा विभिन्न अभिकरण, जैसे– स्कूल, समकक्षी समूह, साहित्य और फिल्म प्रारंभिक समाजीकरण और प्रौढ़ समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं। लड़कियाँ और लड़के अलग-अलग समाजीकरण पाते हैं जो विषम भूमिकाओं और संबंधों को और स्थायी बनाते हैं। लड़के उच्च शिक्षा और क्षमता प्राप्त करते हैं ताकि वे 'पालनकर्ता' की भूमिका निभा सकें और लड़कियों को प्रारंभिक अवस्था से ही घरेलू कामकाज में लगाया जाता है, उन्हें कम शिक्षा दी जाती है, कष्ट सहना, कठोर परिश्रम करना और निम्न आत्म-सम्मान विकसित करना सिखाया जाता है। लड़कों को स्थायी प्रस्थिति मिलती है जबकि लड़कियों को परिवार के गौण सदस्यों के रूप में देखा जाता है। बहुत कम परिवारों में लड़कियों को अपना व्यक्तित्व और सम्मान विकसित करने के अवसर दिए जाते हैं।

यह देखा गया है कि स्कूली पुस्तकें माता की छवि 'गृहिणी' के रूप में चित्रित करती हैं और पिता की 'पालनकर्ता' के रूप में, लड़के बंदूक, ट्रक के खिलौने से खेलते हैं और लड़कियाँ गुड़ियों से खेलती है। यद्यपि कई स्कूल खेलकूद में लड़कों और लड़कियों दोनों को प्रोत्साहित करते हैं, परंतु खेल के भी नियत धारणाओं वाले विन्यास हैं, लड़के फुटबाल, बास्केट बॉल और क्रिकेट खेलते हैं और लड़कियाँ रस्सी कूदना खेलती हैं तथा सीमित खेलों में शामिल होती हैं। महिलाओं और लड़कियों के बारे में संचार-माध्यम के संदेश नियत धारणाओं वाली लैंगिक छवि चित्रित करते हैं ताकि उद्योग अपना मार्केट बनाए रख सके (उप-भाग 19.4.4 में आगे और विस्तार से चर्चा की गई है)।

सोचिए और करिए 1

स्कूल, और परिवार में विभेदक समाजीकरण के बारे में अपने (पुरुष अथवा महिला के रूप में) अनुभव पर एक निबंध लिखिए। अपने निबंध की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य विद्यार्थियों के निबंधों से करिए।

19.3.4 वर्ग प्राधार और महिलाओं के कार्य

वर्ग की परिभाषा मूलतः संपत्ति अथवा पूंजी अथवा आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व द्वारा की जाती है। सरल शब्दों में, पूँजीवादी प्राधार में पदक्रम का निर्धारण मज़दूरी संबंध द्वारा किया जाता है – जो व्यक्ति मज़दूरी के लिए काम करते हैं और जो व्यक्ति मज़दूरी के लिए मज़दूरों को काम पर लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जाति प्राधार के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति होती है, वहाँ महिलाओं पर नियंत्रण भी ऊँची जाति से निचली जातियों में वर्ग प्राधार के अनुसार भिन्न-भिन्न कोटि में लागू किए जाते हैं। ऊँची जातियों/वर्गों की महिलाएँ घर में ही रहती हैं और घरेलू कामकाज में ही भाग लेती हैं। मध्यम वर्ग की महिलाएँ, जिनके पास मध्यम आकार और कम जोत की खेती है, अपने ही खेतों में काम करती हैं और कभी-कभी मज़दूरी के लिए भी काम करती हैं। कारीगर परिवारों/वर्गों की महिलाएँ गृह आधारित उत्पादन में योगदान करती हैं। निचली जातियों की महिलाएँ संपत्तिहीन भी होती हैं और मज़दूरी करती हैं। वे समाज की सबसे निचली श्रेणी की होती हैं, जहाँ गतिशीलता पर कोई नियंत्रण व प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है।

शहरों में जहाँ कामकाज गैर-कृषि व्यवसाय में परिवर्तित हो जाते हैं (प्रदत्त प्रस्थिति से अर्जित प्रस्थिति की स्थिति) मध्यम वर्ग की ऊँची जातियाँ प्रबल समूह बनाती हैं। इस वर्ग की महिलाएँ इस शताब्दी के दौरान शिक्षा और रोजगार लेने के लिए पृथक्कृत जीवन से उभरी हैं। इसका महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता समाप्त हो गई है। फिर भी, इससे महिलाओं के अधीनीकरण में कोई आमूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि जाति प्राधार वर्ग प्राधार में विद्यमान लिंग पदक्रम बनाती है। वर्ग प्राधार के अंतर्गत परिवार महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार से उच्च प्रस्थिति भी प्राप्त करता है। शिक्षित गृहिणी, माता और अर्जक के रूप में महिलाएँ परिवार की प्रस्थिति को बनाए रखने और उसको ऊँचा करने की भूमिका निभाती हैं। वैवाहिक कालमों के विज्ञापन इस प्रवृत्ति के पर्याप्त साक्षी हैं। इस संदर्भ में परिवार की चिंता महिलाओं की शिक्षा की किस्म, कोटि और प्रयोजन, रोज़गार का स्वरूप और स्तर सीमित रखने तथा यह ज़रूरत बनाए रखने में है कि महिलाएँ पारिवारिक भूमिका के साथ-साथ रोजगार भी करती रहें।

महिलाओं का अधीनीकरण जाति तथा वर्ग पदक्रम से मज़बूती से जुड़ा हुआ है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अन्यथा महिलाओं के मुद्दे ठीक से नहीं समझे जा सकेंगे और उन्हें मात्र सांस्कृतिक दुर्घटना और महिलाओं पर अत्याचार की छुट-पुट घटना समझा जाएगा।

बोध प्रश्न

1) जाति प्राधार द्वारा महिलाओं पर क्या नियंत्रण लगाए गए हैं? लगभग सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) वर्ग प्राधार द्वारा महिलाओं पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं? लगभग सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

19.4 महिलाओं पर हिंसा

महिलाओं पर अनेक प्रकार से हिंसा होती हैं जो कि महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा स्थापित करने में सैद्धांतिक चुनौती के रूप में कम काम करती है। यहाँ हमने हिंसा के निम्नलिखित रूपों पर विचार किया है :

1) बलात्कार, यौन शोषण और दुर्व्यहवार

2) पारिवारिक उत्पीड़न और दहेज मौतें

3) वेश्यावृत्ति, और

4) अश्लील साहित्य।

19.4.1 बलात्कार, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार

पुरुषों द्वारा महिलाओं/युवतियों के साथ बलात्कार, उत्पीड़न, छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित करने का कार्य करता है और इस धारणा को कायम रखता है कि महिलाओं को जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पुरुषों के संरक्षण की आवश्यकता है। महाविद्यालयों, सार्वजनिक परिवहनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में छेड़खानी आम बात है। देश के कई भागों में महाविद्यालयों में सामूहिक बलात्कार के मामले और युवतियों को कुरूप बनाने के लिए तेजाब फेंकने की घटनाएँ भी होती हैं। काम के स्थानों पर महिलाओं के उत्पीड़न और उनके साथ दुर्व्यवहार के प्रति आवाज मुश्किल से उठाई जाती है या उसकी रिपोर्ट की जाती है क्योंकि उन्हें अपने रोज़गार से वंचित होने का और निंदा का भय होता है।

यह कहना व्यर्थ होगा कि महिलाओं द्वारा भड़कीले वस्त्र पहनने से यौन उत्पीड़न और छेड़खानी को बढ़ावा मिलता है। बहुत से मामलों में साड़ी और सलवार कमीज पहनी हुई महिलाएँ भी यौन उत्पीड़न की शिकार हुई हैं। यह महिलाओं के प्रति सम्मान का अभाव है जिसमें महिलाओं के प्रति कोई भावना न रखकर उन्हें उपभोग की वस्तु माना जाता है।

बलात्कार महिला की इच्छा और सहमति के बिना और जोर-जबर्दस्ती सम्भोग क्रिया है। यह पुरुष और महिला के बीच शक्ति संबंध का प्रमाण है। बलात्कार में एक व्यक्ति के रूप में महिला के व्यक्तित्व का ह्रास होता है और उसे केवल एक वस्तु मान लिया जाता है। भारत में महिलाओं पर अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं और बलात्कार की घटनाएँ भी इसी प्रकार बढ़ रही हैं। आँकड़ों से यह अनुमान लगता है कि प्रति दो घंटे में देश में कहीं न कहीं बलात्कार होता है। सबसे अधिक भयानक और निराशाजनक स्थिति तो यह है कि इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है और 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाएँ भी बलात्कार की शिकार हो रही हैं। यहाँ तक कि दो या तीन वर्ष की अबोध बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और बलात्कारियों द्वारा लैंगिक परितुष्टि की उपयुक्त वस्तु समझा जा रहा है।

हमारे समाज में विरोधाभास यह है कि बलात्कार की शिकार हुई महिला को हेय दृष्टि से देखा जाता है। जिस महिला के साथ बलात्कार होता है उस पर दोष लगाया जाता है इसके पीछे यह धारणा होती है कि"महिला ने ही उसे आमंत्रित किया होगा", या"उसने कुछ भड़कीले वस्त्र पहने होंगे" आदि।

कुछ मामलों को छोड़कर, अधिकांश बलात्कार की घटनाएँ कामुकता प्रधान नहीं होती हैं। बलात्कार के कई रूप हैं :

क) परिवार के भीतर ही बलात्कार (जैसे– कौटुम्बिक व्यभिचार, बाल यौन दुरुपयोग और पति द्वारा बलात्कार, इसे कानूनी तौर पर बलात्कार नहीं माना गया है)

ख) जाति वर्ग की प्रधानता के रूप में बलात्कार (उदाहरण के लिए, उच्च जाति के पुरुष द्वारा निम्न जाति की महिला के साथ बलात्कार, ज़मींदारों द्वारा भूमिहीन/कृषि महिला मज़दूरों, बंधुवा महिला मजदूरों के साथ बलात्कार)

ग) बच्चों, अव्यस्क, असुरक्षित युवतियों के साथ बलात्कार, युद्ध, साम्प्रदायिक दंगों और राजनीतिक विप्लवों के दौरान सामूहिक बलात्कार

घ) हिरासत के दौरान बलात्कार (जैसे– पुलिस हिरासत, रिमांड गृहों, अस्पतालों, काम के स्थानों में आदि)

च) आकस्मिक, अप्रत्याशित बलात्कार।

पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र, मथुरा और हैदराबाद में रमज़ाबी की बलात्कार की बड़ी घटनाओं और इन मुकदमों में न्यायालय के जिस फैसले में सहमति के अनुच्छेद पर पुलिसकर्मियों को दोषमुक्त किया गया था, उसके फलस्वरूप बलात्कार कानून में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। दंड विधान (संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा इस कानून में परिवर्तन लाया गया। किसी व्यक्ति को बलात्कार करने का दोषी तब कहा जाएगा यदि उसने किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग किया हो, अथवा उसकी सहमति से परंतु पागलपन अथवा नशे की अवस्था में अथवा उसे या अन्य कोई भी व्यक्ति जिसमें वह रुचि रखती है, उसकी मृत्यु अथवा हानि के भय से सहमति ली हो अथवा जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की हो। अधिनियम में हिरासत संबंधी बलात्कार की श्रेणियाँ भी निर्धारित की गई हैं। हिरासत के दौरान बलात्कार के किसी भी मामले में, यदि पीड़ित महिला यह साक्ष्य देती है कि उसने संभोग के लिए सहमति नहीं दी, तो न्यायालय यह मानेगा कि उसने सहमति नहीं दी। यह सिद्ध करना कि बलात्कार नहीं किया गया था, इसका दायित्व पुरुष का होगा। फिर भी, बलात्कार का अभियोग स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए महिला के पिछले यौन संबंधी ब्यौरे मालूम करने संबंधी पहलू को अछूता रखा गया है। अर्थात् कानून ने महिलाओं की रक्षा के लिए नैतिकता के मानदंड निर्धारित किए हैं।

19.4.2 पारिवारिक मारपीट और दहेज मौतें

परिवार में महिलाओं से मारपीट– पत्नी की पिटाई, दुर्व्यवहार, भावप्रवण अत्याचार और इस प्रकार के अन्य व्यवहार को पारिवारिक समस्याएँ माना जाता है और इन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराध के रूप में नहीं माना गया है। यह भी देखा गया है कि समाज के सभी वर्गों में पारिवारिक अत्याचार होते रहते हैं। एक शोध अध्ययन में समाचार-पत्र की रिपोर्टों के विश्लेषण से यह देखा गया है कि विवाह के पश्चात् शुरू के कुछ वर्षों में महिलाओं की मृत्यु की घटनाएँ बढ़ रही हैं। नव-विवाहितों पर अत्याचार के चरम रूप को 'दहेज मौत' या 'बहू को जलाने की घटना' के रूप में माना जाता है।

अधिकांश बहुएँ जलाने की घटनाएँ या दहेज मौतें या दहेज हत्या के मामले लड़की के ससुराल वालों की उन अतृप्त माँगों के कारण होती है जिन्हें लड़की के माता-पिता पूरी नहीं कर पाते हैं। बहू को अपर्याप्त दहेज लाने के लिए तंग किया जाता है और ससुराल वाले बहू को खत्म करने की साजिश करते हैं ताकि वे अपने लड़के की शादी एक बार फिर कर सकें और नई वधू के माता-पिता से अधिक दहेज ले सकें।

अधिकांश मामलों में दहेज मौत या दहेज हत्या या विवाह के बाद की आत्महत्या (ससुराल वालों द्वारा वधू को दी गई यातनाओं से तंग आकर) रोकी जा सकती हैं, यदि बहू के माता-पिता या रिश्तेदार उसके बार-बार अपने ससुराल न जाने की इच्छा को मानकर उसे अपने पास रखने के लिए तैयार हों। अरवीन (गोगी) कौर अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। उसने अपने माता-पिता को आत्महत्या करने से काफी पहले लिखा था –"पापा, मुझे इस तरह दूर मत फेंकिए। पापा, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं वापस आना चाहती हूँ। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। पापा, आप मुझे अपने पास रखने में समर्थ हैं, क्या ऐसा नहीं है? पापा, कुछ कहिए, आप नहीं जानते कि आपकी बेटी यहाँ किस तरह रह रही है। कृपया मुझे वापस बुला लो। पापा, मैं मर जाऊँगी परंतु यहाँ नहीं रहूँगी"..... और वास्तव में वह मर गई।

वधू द्वारा की गई आत्महत्याओं की घटनाओं के पीछे अधिकतर तो ससुराल वालों अथवा पति द्वारा किए गए अत्याचार होते हैं। कभी-कभी कुछ अन्य कारण भी होते हैं जैसे–बेटी को अकेले अथवा बच्चों सहित रखने में माता-पिता को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। इसके अलावा माता-पिता की इज्जत का सवाल भी उठता है, जिसमें शादी के बाद यदि लड़की अपने माता-पिता के घर में रहती है तो समाज में उनके परिवार की प्रतिष्ठा और प्रस्थिति कलंकित हो जाती है। इस कारणवश वे विवाह के पश्चात् बेटी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यकत्ताओं और नारीवादियों ने माता-पिता की पैतृक और स्व-अर्जित दोनों प्रकार की सम्पत्ति में लड़की के अधिकार की माँग की है। यह महसूस किया गया है कि इससे दहेज मौतों या दहेज हत्या की दुर्घटनाएँ रुकेंगी। वधू की आर्थिक सुरक्षा उसके माता-पिता, रिश्तेदारों की भावात्मक और नैतिक सहायता की तरह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।

दहेज प्रथा का अस्तित्व, प्रचलन तथा विस्तार बहुत भयानक है। शहरों, छोटे कस्बों और महानगरों में बढ़ रही दहेज मौतों की घटनाओं ने महिला समूहों का ध्यान आकृष्ट किया और 1980 के दशक के शुरू के वर्षों में दहेज अधिनियम में संशोधन की माँग की गई। विवाह के समय दहेज के भावी भुगतान से मुक्ति पाने के लिए अमीनोसैंटेसिस (लिंग पहचान परीक्षण) की सहायता से उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत में जानबूझकर मादा भ्रूण की हत्याएँ की गईं।

यह देखा गया है कि दहेज प्रथा का प्रचलन अनुलोम विवाह (hypergamy) अर्थात् उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच विवाह से शुरू हुआ। 'स्त्री धन' की अवधारणा संपत्ति में हिस्सा जिसे महिलाएँ विवाह के समय प्राप्त करती हैं, उसका स्थान धीरे-धीरे दहेज ने ले लिया है। अचल संपत्ति के बदले आमतौर पर वधू को नकद या किसी अन्य रूप में दहेज दिया जाता है जिस पर शायद ही उसका नियंत्रण होता है। मध्यम वर्ग में उपभोक्तावाद की वृद्धि अर्थात् उपभोग की वस्तुएँ जैसे–टी.वी., वीडियो, फ्रिज़ आदि हासिल करने की इच्छा ने दहेज की माँग को और हवा दी है। यह प्रथा अब निम्न वर्ग और गैर-हिंदू समुदायों में भी आ रही है, जहाँ यह पहले बिल्कुल नहीं थी। दहेज के बारे में प्रचलित धारणा है कि यह महिला के निर्वाह का उत्तरदायित्व लेने के लिए वर के परिवार को क्षतिपूर्ति दी जाती है। यह धारणा इस संकल्पना पर बनी है कि महिला 'कामकाजी' व्यक्ति नहीं है और विवाह वर के परिवार पर वधू के परिवार से 'गैर कामकाजी' व्यक्ति के निर्वाह के इस 'भार' को डालता है। यह धारणा गलत है क्योंकि (क) यह गृहिणी और माता के रूप में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली बहु आयामी भूमिका को कम आँकता है, और (ख) इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि रोज़गारशुदा महिलाओं के लिए भी दहेज देने की आशा क्यों की जाती है?

कुछ महिलाएँ संगठन परामर्श एवं कानूनी सहायता देती हैं और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए सहायता केंद्र और अल्पकालिक निवास-गृह-चलाती हैं। फिर भी, महिलाओं को 'उत्सर्जनीय', 'अनावश्यक' सामग्री के रूप में देखे जाने को बंद करना ज़रूरी है और उन्हें समुदाय, पड़ोसियों तथा अपने माता-पिता से अधिक समर्थन मिलना चाहिए।

माता-पिता और समाज द्वारा विवाह को असाधारण महत्त्व दिए जाने तथा किसी भी कीमत पर विवाह के लिए दबाव डालने की मानसिकता का विरोध करने की ज़रूरत है। दहेज प्रथा का स्थायित्व महिलाओं की महत्ता को कम करता है और लड़कियों के पैदा होने को अवांछित बनाता है। अविवाहित रहने के विकल्प को सम्मान और महत्त्व दिया जाना चाहिए। अकेले रहने वाली अविवाहित अथवा पैतृक परिवार के साथ रहने वाली महिला को 'विचलन' के बदले एक 'प्रतिमान' के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

19.4.3 वेश्यावृत्ति

वेश्यावृत्ति महिलाओं की मानवीय प्रतिष्ठा का अवमूल्यन करती है और उन्हें समाज में 'पतित' महिला के रूप में चित्रित करती है। महिलाओं की कामुकता का व्यापार महिलाओं के अधीनीकरण से शुरू होता है। एक व्यक्ति के रूप में महिला का व्यक्तित्व उसकी कामुकता के उद्देशीकरण द्वारा कमजोर होता है। शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से अकेले पुरुष का प्रवासन होता है, वहाँ वेश्यावृत्ति बहुत अधिक है। 1986 में वेश्यावृत्ति के अवैध कार्य को रोकने के लिए पहले वाला अनैतिक देह-व्यापर (SITA) निषेध अधिनियम संशोधित किया गया था। तथापि, नये वाले अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम (ITPPA) के भी वैसे ही लक्ष्य, उद्देश्य, तर्क और आधारवाक्य हैं।

परंतु परवर्ती (ITPPA) वेश्याओं के प्रति दुराग्रहपूर्ण है। इसमें वेश्याओं को दंड देने संबंधी अनुच्छेदों को रखा गया है। साथ ही, ग्राहक को अपराधी नहीं बताया गया है।

इसके अलावा, कार्यान्वयन प्राधार को सुदृढ़ करने के लिए प्रावधान किए बिना दंड के उपाय करने का औचित्य बहुत कम है। फिर भी पूर्ववर्ती (SITA) की असफलता के निम्नलिखित कारण थे :

क) वेश्यालय प्रबंधन राजनीति अन्तर्संबंध

ख) वेश्याओं को दण्ड दिए जाने के साथ चालबाजों द्वारा हिरासत से बचाव

ग) अधिनियम में सम्मिलित अनुशास्तियों का पुलिस द्वारा वेश्याओं से रिश्वत और जुर्माना ऐंठने के लिए प्रयोग किया जाना

घ) साक्ष्य प्रस्तुत करने में समस्याएँ

ड.) न्यायाधीशों की कामुक अभिवृत्ति

च) सुधार-गृहों की कमी, मूलभूत सुविधाओं की कमी, स्टाफ की अल्प योग्यता और पुनर्वास के प्रति सुधारात्मक उपायों की न्यून गुणवत्ता। ये सभी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं।

यह मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य विवशता है जिससे वेश्याओं तथा वेश्यावृत्ति की समस्या खड़ी होती है। कई परिस्थितिजन्य विवशताओं में दो बातें मुख्य हैं :

i) सामाजिक परित्याग, और

ii) आर्थिक कंगाली–जिनकी वेश्यावृत्ति अपनाने का मुख्य कारण गरीबी है और यह आम बात है।

पहली स्थिति में, बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जिनका सामाजिक दृष्टि से परित्याग किया गया है, जैसे – विधवाएँ, निराश्रय और परित्यक्त महिलाएँ, धोखे और ठगी की शिकार जिन्हें विवाह का वचन दिया गया था अथवा विवाह किया गया था और जिस व्यक्ति पर विश्वास किया गया था, उसने दलाल या वेश्यालय के मालिक को बेच दिया। सामाजिक परित्यक्तों में भी कई ऐसी महिलाएँ होती हैं जिन्हें उनके परिवार, माता-पिता, पति ने बलात्कार का शिकार होने के बाद छोड़ दिया है। अभी-अभी हाल ही में बम्बई में एक पिता ने अपनी लड़की को उसके साथ बलात्कार होने के बाद वापस लेना अस्वीकार कर दिया। यह बात नहीं थी कि वह गरीब था, बल्कि वह काफी धनी था। अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को आँच आने के भय से वह अपनी लड़की को वापस नहीं लेना चाहता था। अधिकांश बलात्कार के मामलों में ऐसा होता है, उनके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, इसलिए मजबूरी में उन्हें वेश्यालयों की शरण लेनी पड़ती है जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं होता।

वेश्यावृत्ति बहुत गंभीर और जटिल समस्या है जिसे सरलता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इसे खिलवाड़ के रूप में नहीं अपनाता है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को क्षत-विक्षत और दूषित करने देना, पूरे साल दिन में कई बार, साल दर साल यह होते रहने देना जब तक कि शरीर बूढ़ा न हो जाए। यह अपमानजनक, घोर व्यथाकारी है। किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से इस सीमा तक तोड़ दिया जाता है कि उसके लिए अपना नया जीवन शुरू करना केवल कठिन ही नहीं अपितु दीर्घकालिक भयंकर मानसिक आघात वाला और कठिन होता है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा

अधिनियम के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब परिवारों से अवयस्क लड़कियाँ और महिलाएँ वेश्यावृत्ति के लिए विवश की जाती हैं जिसमें उनकी रहन-सहन और कामकाज की दशाएँ बहुत शोचनीय है। उनका अपने शरीर, अपनी कमाई पर कोई नियंत्रण नहीं

है; उनका स्वास्थ्य गिरता जाता है। उनके बच्चों को शिक्षा और अन्य सेवाएँ प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं मिलती है। बम्बई शहर में कुछ गैर-सरकारी संगठन इन बच्चों की देखभाल के लिए शिशुसदन सुविधाएँ और कामकाजी बच्चों के लिए हाई स्कूल चला रहे हैं। वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है।

देह-व्यापार जैसा कि यह जाना जाता है कि यह फलता-फूलता व्यापार है, जहाँ महिलाओं की कीमत पर दलाल, प्राप्तकर्त्ता और पुलिस जैसे लोगों के कई समूह धन अर्जित करते हैं। इनमें से अधिकांश लड़कियाँ यौनजनित रोगों से ग्रस्त होती हैं, यदि वे कोई आवश्यक निरोधक एहतियात नहीं करती हैं तो एड्स (AIDS) की भी शिकार हो सकती हैं। फिर भी, वेश्यालयों में रहने वाली महिलाओं को एड्स के शिकार की अपेक्षा इसके विषाणु के वाहक के रूप में माना गया है।

19.4.4 अश्लील साहित्य और संचार-साधनों में महिलाओं का मिथ्या निरूपण

स्त्री अशिष्ट (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखों, चित्रों, आकृति में या किसी अन्य तरीके में और इससे सम्बद्ध मामलों के लिए अथवा उनके आकस्मिक प्रयोग के लिए स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करता है।

फिर भी, अश्लील साहित्य, पत्र-पत्रिकाएँ, चित्र, विज्ञापन पट (hoardings) और फिल्में छापी जाती हैं, बनाई जाती हैं जिन्हें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार' के रूप में देखा जाता है, इससे वास्तव में महिलाओं के सम्मान का उल्लंघन होता है। ऐसी स्थिति में एक ओर तो बलवान, आक्रमणशील और उग्र पुरुषों की पितृसत्तात्मक छवि बनी रहती है और दूसरी ओर सेक्स की वस्तु के रूप में दुर्बल, विनयशील, संवेदनशील महिला की छवि बनती है। इन छवियों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, वस्त्रों, घरेलू उपयोग के उपकरणों और कई अन्य वस्तुओं के विज्ञापनों में वाणिज्यिक लाभ के लिए किया जाता है। महिला को कामुक और सम्मोहक के रूप में चित्रित किया जाता है, पुरुष को उग्र और स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया जाता है। फिल्मों में भी इसी प्रकार के फार्मूले का उपयोग किया जाता है। संचार-माध्यमों में महिलाओं की छवि के अश्लील और गलत चित्रण के विरुद्ध समय-समय पर दबाव पड़ते रहे हैं और विरोध भी होता रहा है।

बोध प्रश्न 3

1) सही उत्तर पर टिक (✓) का निशान लगाइए।

बलात्कार इसलिए होता है कि :

क) महिलाओं के वस्त्र और उनका चाल-चलन स्वच्छन्द होता है। ( )

ख) पुरुष महिलाओं की रक्षा नहीं करते हैं। ( )

ग) यह कामुकतापूर्ण छेड़छाड़ की अभिव्यक्ति है। ( )

घ) पुरुष विकृतकामी होते हैं। ( )

2) क्या दहेज मौतों की निंदा करना ही काफी है? वे कौन से मूल्य हैं जिन्हें आपको ग्रहण करना है? लगभग सात पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) बलात्कार की बढती घटनाओं में सर्वाधिक भयावह और घृणित क्या बात है? लगभग चार पंक्तियों में उत्तर दें।

.....

.....

.....

.....

19.5 महिलाओं संबंधी मुद्दे : चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएँ

भारत में पिछले दो दशकों में महिलाओं संबंधी मुद्दों को लेकर सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर काफी जागरूकता आई है। इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है– महिलाओं के स्व-जागरूकता आंदोलन का उद्‌भव जिसने हाल ही के वर्षों में महिलाओं संबंधी मुद्दों पर सरकार की योजनाओं और नीतियों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। महिला आन्दोलनों पर हम ई. एस. ओ.– 12 के खंड 7 में चर्चा करेंगे।

i) स्वतंत्रता पूर्व काल महिलाओं से संबंधित मुद्दे

ब्रिटिश काल के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेता महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष को स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा मानते थे। यह उल्लेखनीय है कि इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन और सुधारों के परिणामस्वरूप महिलाओं के काफी संगठन उभरकर सामने आए। भारतीय महिला संघ (1917), भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद् (1926), अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (1926) आदि द्वारा महिलाओं का आंदोलन आगे बढ़ रहा था।

ii) स्वतंत्रताप्राप्ति पश्चात् महिलाओं से संबंधित मुद्दे

हमारे देश का संविधान कराची कांग्रेस के मौलिक अधिकार प्रस्ताव में स्वीकृति महिलाओं की समानता के मूल सिद्धांत का अनुसरण करता है। अनुच्छेद 15 (3) का प्रावधान राज्य को बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के अधिकार प्रदान करता है। 1950 के दशक में कानूनी सुधारों में हिंदू महिलाओं को विवाह, उत्तराधिकार और अभिभावक के और अधिक अधिकार देने का प्रयास किया गया। महिलाओं की विकास संबंधी नीतियों में मुख्य जोर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की व्यवस्था पर था।

iii) महिलाओं संबंधी समकालीन मुद्दे

1970 के दशक में महिलाओं संबंधी मुद्दे प्रखर रूप में उभर कर सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के निराकरण (1967) की घोषणा और तत्पश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा अपने सदस्य-राज्यों से अपने-अपने देश में महिलाओं की प्रस्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इसके परिणामस्वरूप भारत

में महिलाओं की प्रस्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई जिसने 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई 1975 आह्वान की प्रतिक्रिया और सी.एस.डब्ल्यू.आई. (CSWI) रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारूप तैयार किया। योजना के अंतर्गत विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और रोज़गार के क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत को प्रथम स्थान दिया गया। सी.एस.डब्ल्यू.आई. (CSWI) के अतिरिक्त भारत में महिलाओं की प्रस्थिति को ऊँचा उठाने के लिए ठोस कार्रवाई सुझावों के हेतु भारत सरकार ने कई समितियाँ व आयोग गठित किए। इसमें से कुछ महत्त्वपूर्ण हैं– स्व-रोजगार महिला संबंधी राष्ट्रीय आयोग 1988, राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना 1988-2000, राष्ट्रीय महिला आयोग 1991 आदि। समितियों व आयोगों की सिफारिशों के आधार पर और हाल ही के वर्षों में विभिन्न महिला संगठनों और महिला कल्याण की माँगों को सामने रखते हुए भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न ठोस कार्रवाई की गई।

iv) **बुनियादी विधान**

क) **विवाह :** भारत सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों के बहु-विवाह करने पर प्रतिबंध है। इस्लाम धर्म के अतिरिक्त सभी धर्मों में एकल-विवाह को स्वीकृति प्रदान है।

ख) **विवाह की आयु :** विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह की न्यूनतम आयु लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

ग) **दहेज :** दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अब न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी जानकारी या किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संगठन द्वारा दहेज के कारण हुई हत्या की शिकायत पर कार्यवाही कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी सुधार किया गया जिसके अंतर्गत सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त यदि दहेज की माँग की जाती है या विवाह के सात वर्षों के अंदर वधू की मृत्यु हो जाती है तो प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व पति और उसके परिवार का है। इस मुद्दे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण शहरी केंद्रों में दहेज-विरोधी कक्ष भी बनाए गए हैं।

घ) **सती :** सती (निषेध) अधिनियम आयोग 1987 ने सती प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया।

ड.) **बलात्कार और महिलाओं का अश्लील चित्रण :** जाँच और मुकदमे के दौरान बलात्कार के शिकार लोगों को प्रचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दंड कानून अधिनियम में भी सुधार किए गए। सहमति के तत्त्व को हटाने के लिए बलात्कार की परिभाषा में भी परिवर्तन किया गया। इस अपराध के लिए दंड को भी बढ़ा दिया गया।

महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम प्रतिबंध लगाता है, महिलाओं की आकृति, रूप, शरीर या शरीर के किसी भाग के ऐसे चित्रण पर जिससे महिलाओं का अश्लील चित्रण हो या उनको कलुषित किया जाता हो या जो समाज की नैतिकता या नैतिक मूल्यों को बिगाड़ता हो, भ्रष्ट और क्षतिग्रस्त करता हो। (एन. पी. पी. डब्ल्यू. 1988)

च) **लिंग-निर्धारण जाँच :** हाल ही के वर्षों में लिंग-निर्धारण जाँच के विरुद्ध काफी आंदोलन हुए। यहाँ यह बताना महत्त्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में प्रसव-पूर्व लिंग-निर्धारण जाँच को अवैध घोषित किया गया है।

छ) **कार्य :** समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1973 के अनुसार समाज या समकक्ष कार्य करने वाले पुरुष व महिलाओं को भुगतान राशि बराबर दी जाती है। अधिनियम में भर्ती के समय या उसके पश्चात् लिंग के आधार पर पक्षपात की भी मनाही है।

कोष्ठक 1

कार्यरत महिलाओं के लिए प्रसूति लाभ

प्रसूति लाभ अधिनियम के अंतर्गत फैक्टारियों, कारखानों, खानों, बागानों, सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को 4½ महीने का प्रसूति अवकाश और गर्भपात के लिए 45 दिन का अवकाश प्रदान किया जाता है। इसमें कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए शिशु-केंद्रों का भी प्रावधान है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने संबंधी विधि प्रदान की गई है। इसमें कर्मचारियों की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

v) महिलाओं के लिए रोज़गार कार्यक्रम

गरीब महिलाओं के लिए आय कमाने के भी विविध कार्यक्रम चलाए गए हैं। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम के कुल लाभार्थियों में 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं और बाल विकास (DWCRA) कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम (NREP) भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी प्रदान की जाती है। स्व-रोज़गार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण युवकों को आय प्रदान करने वाले रोज़गार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। पहाड़ी व सूखा-प्रवण क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम हैं। (अधिक जानकारी के लिए इस पाठ्यक्रम के खंड 3 की इकाई 8, 9, 10 और 11 देखें।) इन कार्यक्रमों में महिलाओं पर यथोचित ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने भी स्वयं-सहायता समूहों आदि के माध्यम से महिलाओं के बीच रोज़गार हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए हैं।

बोध प्रश्न 4

सही उत्तर पर टिक (✓) का निशान लगाइए।

1) निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने में अधिकार देता है :

   क) अनुच्छेद 370 ( )

   ख) अनुच्छेद 356 ( )

   ग) अनुच्छेद 10 ( )

   घ) अनुच्छेद 15 ( )

2) प्रसूति लाभ अधिनियम के अधीन गर्भवती महिलाएँ प्रसूति अवकाश ले सकती हैं :

   क) 45 दिन का ( )

   ख) 75 दिन का ( )

   ग) 135 दिन का ( )

   घ) 90 दिन का ( )

3) एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (IRDP) के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने के लिए एक लक्ष्य निश्चित किया गया है। यह लक्ष्य है :

क) 50 प्रतिशत ( )

ख) 60 प्रतिशत ( )

ग) 25 प्रतिशत ( )

घ) 30 प्रतिशत ( )

19.6 सारांश

इस इकाई में विभिन्न सूचकों जैसे जनसांख्यिकीय प्रस्थिति, स्वास्थ्य प्रस्थिति, साक्षरता, रोज़गार प्रस्थिति और राजनीतिक प्रस्थिति के माध्यम से भारत में महिलाओं की प्रस्थिति प्रस्तुत की गई है। महिलाओं की आजादी को कम करने वाले जाति प्राधार और उसकी भूमिका, वर्ग प्राधार और महिलाओं के अधीनीकरण एवं उसके स्थायीकरण के बारे में चर्चा की गई है। 'एक संस्था के रूप में' और गौण भूमिका निभाने के लिए एक बेटी के समाजीकरण में परिवार की भूमिका, दहेज और हिंसा के विभिन्न रूप जो महिलाओं की अस्मिता और सम्मान को संकट में डालते हैं, इन मुद्दों का विश्लेषण किया गया है।

19.7 शब्दावली

अनुलोम विवाह (hypergamy) : निचली जाति की महिला और ऊँची जाति के पुरुष के बीच विवाह।

मृत्यु दर (mortality rate) : मौतों की आवृत्ति का माप।

लिंग अनुपात (sex-ratio) : प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात।

श्राद्ध : हिंदुओं में पुण्यतिथि।

19.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) हाँ, महिलाओं के मामले में संवैधानिक गारंटी और वास्तविकता के बीच विरोधाभास है। यद्यपि महिलाओं ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है परंतु अधिकांश महिलाओं को अभी बहुत अधिक परिश्रम करना है। लिंग अनुपात को संतुलित किया जाना है, सभी आयु वर्गों में महिलाओं की जीवन संभाव्यता में सुधार किया जाना है। महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रक्रमों और कार्यों में अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए।

2) देश की महिलाओं की निम्न प्रस्थिति का प्रभाव विकास की प्रक्रिया पर पड़ता है। क्योंकि 50 प्रतिशत जनसंख्या की उपेक्षा की जा रही है। परिवार में गरीबी के आर्थिक दबाव का प्रभाव महिलाओं तथा लड़कियों पर पड़ता है जिन्हें सख्त मेहनत और अधिक समय तक काम करना पड़ता है, वे कम भोजन करती हैं, सामाजिक सामग्री और सेवाओं तक उनकी पहुँच कम है।

3) ख

बोध प्रश्न 2

1) जाति प्राधार द्वारा महिलाओं की लैंगिकता और समुदाय के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से अलग रखकर, संपत्ति पर अधिकार से

वंचित रख कर और विवाह के नियमों का सख्ती से पालन करके किया जाता है। जाति प्राधार आनुष्ठानिक पवित्रता, जैविक शुद्धता (वैध उत्तराधिकारी के जन्म द्वारा) जातीय श्रेष्ठता और आर्थिक शक्ति बनाए रखता है।

2) वर्ग प्राधार जाति प्राधार द्वारा निर्मित लिंग विभाजन के बारे में इतना सख्त नहीं है। परिवार महिलाओं की उपलब्धियों से प्रस्थिति प्राप्त करता हैं। महिलाएँ परिवार की प्रस्थिति को बनाए रखने और ऊँचा उठाने में योगदान करती हैं। लड़कियों को दी गई शिक्षा की किस्म, गुणवत्ता और स्तर पर नियंत्रण है। रोज़गार की वरीयता का मूल्यांकन किया जाता है और महिलाओं की दोहरी भूमिका बनाए रखी जाती है। जिससे महिलाओं पर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ असाधारण रूप से बढ़ जाती हैं। महिलाएँ (संगठित क्षेत्र में) शिक्षक, टाइपिस्ट, नर्स और डॉक्टर का व्यवसाय इसीलिए अपनाती हैं, कि इन व्यवसायों को उनकी पारिवारिक भूमिका का विस्तार माना जाता है।

बोध प्रश्न 3

1) ग

2) महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार के अधिकार देना महत्त्वपूर्ण है। विवाह के असाधारण महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए। यदि महिला अविवाहित रहना चाहती है तो इसे विवाह के वैध विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। महिलाएँ उत्सर्जनीय अथवा व्यय की जाने वाली वस्तु नहीं है। लड़की के जन्म को भी हर्ष की घटना माना जाना चाहिए। उनके व्यक्तित्व, अस्मिता और सम्मान को सभी स्तरों पर माना जाना चाहिए।

3) बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं में सबसे भयानक और चिंता का विषय यह है कि बलात्कार के शिकार की सबसे अधिक संख्या 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियाँ हैं। यहाँ तक कि दो या तीन वर्ष के शिशु भी नहीं छोड़े जाते हैं और बलात्कारियों द्वारा अपनी काम-पिपासा की पूर्ति की उपयुक्त वस्तु समझे जाते हैं।

बोध प्रश्न 4

1) घ

2) ग

3) घ